

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

मिश्रीलाल

बनाम

कैलाश वगै०

केसम् मुकदमा:- वाद पत्र 53, 88, 188


मु० न० 1 सन् 2025

जीसीएमएस नं. 2024/86/

हुकम या कार्यवाही गय इन्ीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

24 रिपोर्ट सरिस्ता होकर वाद पत्र पेश हुआ। वादी की ओर से श्री जसवन्त सिंह भीणा एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.01.2025 को पेश हो।

  
(मुकेश चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीम का थाना

31/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभियापक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो।

28/3/25 पत्रावली पेश हुई। अभियापक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/5/25 को पेश हो।

7/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उभय पक्ष अथवा पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोई सन्नाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आपाज दिलावई गई। वकूलाप उभय पक्ष अथवा पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये। अतः वकूलाप उभय पक्ष अथवा पक्षकारान की अनुपस्थिति में वादपत्र बाकत धोखणा, विभाजन एवं त्रिकेद्याला को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुभाट होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल वपत्र है।

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी